The Uttarakhand Official Language Act, 2009

Act No. 14 of 2010

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

क्रम संख्या– 14

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 07 जनवरी, 2010 ई0
पौष 17, 1931 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या 25/विधायी एवं संसदीय कार्य/2009
देहरादून, 07 जनवरी, 2010

अधिसूचना
विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड राजभाषा विधेयक, 2009 को दिनांक 07 जनवरी, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तंराचल अधिनियम संख्या 14, सन 2010 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राजभाषा अधिनियम, 2009

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 14 वर्ष 2010}

उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय प्रयोजनों और अन्य विषयों के लिए प्रयोग के निमित्त भाषा के रूप में हिन्दी के अंगीकार करने के लिए व्यवस्था का

अधिनियम

संविधान के अनुच्छेद 345 और अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) में और विषयों के अतिरिक्त यह व्यवस्था की गई है कि राज्य के शासकीय प्रयोजनों और ऐसे विषयों के लिए, जो इस अधिनियम के आगे चलकर प्रकट होंगे, प्रयोग में लाने के लिए भाषा के रूप में राज्य का विधान–मण्डल, विधि द्वारा देवनागरी लिपि मे हिन्दी को अंगीकृत कर सकता है।

इसलिए भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का नाम उत्तराखण्ड राजभाषा अधिनियम, 2009 है।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तराखण्ड में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

राज्य में हिन्दी का राजभाषा होना

2. संविधान के अनुच्छेद 346 और 347 के उपबन्धों पर विपरीत प्रभाव डाले बिना देवनागरी लिपि में हिन्दी का उपयोग निम्नलिखित के सम्बन्ध में होगा :–

(क) (1) संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश;

(2) ''भारत का संविधान'' के अधीन अथवा संसद या राज्य के विधान मण्डल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन, राज्य सरकार द्वारा प्रचारित आदेश, अधिसूचना, नियम, विनियम और उपविधि; और

(ख) राज्य के सभी या कोई शासकीय प्रयोजन :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, एतदर्थ साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा राज्य के किसी शासकीय प्रयोजन के लिए भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रयोग की अनुज्ञा दे सकेगी।

संस्कृत का प्रयोग

3. संस्कृत भाषा भाषियों के हित में, द्वितीय राजभाषा के रूप में संस्कृत का प्रयोग, ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जायेगा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किये जायं।

निरसन एवं अपवाद

4. (1) उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा तत्समय उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

THE UTTARAKHAND OFFICIAL LANGUAGE ACT, 2009

[UTTARAKHAND ACT NO. 14 OF 2010]

to provide for adoption of Hindi as the languages to be used for the official purposes and other matters of the State of Uttarakhand;

WHEREAS, Article 345 and Clause (3) of Article 348 of the Constitution provide inter alia that the Legislature of a State may by law adopt Hindi in Devanagri script as the language to be used for official purposes of the State and for matters hereinafter appearing:

AN
Act

Be it enacted by State Assembly in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows:--

Short Title, extent and Commencement	1-	(1) This Act may be called the Uttarakhand Official Language Act, 2009. (2) It extends to the whole of Uttarakhand. (3) It shall come into force at once.
Hindi to be Official Language of the State	2-	Without prejudice to the provisions of Articles 346 and 347 of the Constitution, Hindi in Devanagri script shall be the language used in respect of the following:-- (a) (1) ordinances promulgated under Article 213 of the Constitution; (2) orders, notifications. rules regulations and byelaws issued by the State Government under the Constitution of India or under any law made by Parliament or the Legislature of the State; and (b) all or any of the Official Purposes of the State : Provided that the State Government may by general of special order in this behalf permit the use of International form of Indian numerals for any Official purpose of the State.
Use of Sanskrit	3-	In the interest of Sanskrit speaking people, Sanskrit language shall be used as second Official language for such purposes as may be notified by the State Government from time to time.
Repeal and sharing	4-	(1) The Uttar Pradesh Official Language Act, 1951 is hereby repealed in relation to Uttarakhand. (2) Notwithstanding such repeal specified in sub-section (1), anything done or any action taken under this Act shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act were in force at all material times,